



न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश फतेहपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - विकास ऐचरा RJS (RJ00746)

सेशन प्रकरण (सी.आई.एस.) संख्या:-11/2022

CnR RJSK160003942022

एफ.आई.आर. रिपोर्ट संख्या-105/2022 पुलिस थाना सदर, फतेहपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

1. दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह पुत्र सार्दुल सिंह उम्र 36 वर्ष, निवासी-हरसावा, पुलिस थाना सदर फतेहपुर, जिला-सीकर, राजस्थान।
2. सार्दुल सिंह पुत्र केशर सिंह उम्र 67 वर्ष, निवासी- हरसावा, पुलिस थाना सदर फतेहपुर, जिला-सीकर, राजस्थान। (निर्णय दिनांक 30.08.2025)

--अभियुक्तगण

उपस्थिति-

- 1- श्री जय कौशिक, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
- 2- श्री जितेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

अपराध अन्तर्गत धारा-498ए, 323, 376(2)(n), 506 भारतीय दण्ड संहिता

अपराध का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	24.11.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	09.06.2022
आरोप-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	29.08.2022
आरोप विरचित किये की तिथि	22.03.2023
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	01.06.2023
निर्णय की तिथि	19.03.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	----



अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 428 दं. प्र.सं.के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1-	दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह	07.07.22	08.07.22	498 ए, 323 भां.दं.सं	दोषमुक्त	-	-
2-	सार्दुल सिंह	16.06.22	14.09.22	376(2)(n), 506 भा.दं.सं.	निर्णय दिनांक 30.08.2025	-	-

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

क-अभियोजन गवाहान

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी)
पी.डब्ल्यू-1	राजेन्द्र सिंह	नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू-2	दयाल सिंह	पीड़िता का पिता, नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू-3	द्रोपदी कंवर	पीड़िता की माता
पी.डब्ल्यू-4	डॉक्टर सुशील कुमार	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू-5	डॉक्टर सुमन कुम्हार	चिकित्सीय साक्षी
पी.डब्ल्यू-6	अमरचंद	प्राप्ति रसीद
पी.डब्ल्यू-7	सुमन	धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम
पी.डब्ल्यू-8	आहत	शिकायतकर्ता/पीड़िता
पी.डब्ल्यू-9	राजेन्द्र प्रसाद	अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्ल्यू-10	जितेन्द्र सिंह शेखावत	फर्द गिरफ्तारी, फर्दजबती, फर्द तस्दीक घटनास्थल
पी.डब्ल्यू-11	मंगेजाराम	फर्द गिरफ्तारी, फर्दजबती
पी.डब्ल्यू-12	रामनिवास	एफएसएल रिपोर्ट
डी.डब्ल्यू-1	सार्दुल सिंह	अभियुक्त



अभियोजन/प्रतिरक्षा /न्यायालय प्रदर्शों की सूची
क-अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श पी-1/P.W.-1	हालात मौका व नक्शा मौका दिनांक 11.06.2022
2	प्रदर्श पी-2/P.W.-4	सार्दुल सिंह का चोट प्रतिवेदन दिनांक 17.06.2022
3	प्रदर्श पी-3/P.W.-4	मेडिकल मुआयना कराने की तहरीर दिनांक 16.06.22
4	प्रदर्श पी-4/P.W.-4	आईडेंटिफिकेशन फार्म दिनांक 17.06.2022
5	प्रदर्श पी-5/P.W.-4	एफएसएल कवरिंग लेटर दिनांक 17.06.2022
6	प्रदर्श पी-6/P.W.-5	आहत की मेडिकल मुआयना बाबत तहरीर 11.06.2022
7	प्रदर्श पी-7/P.W.-5	आहत का चोट प्रतिवेदन 11.06.2022
8	प्रदर्श पी-8/P.W.-5	एफएसएल आईडेंटिफिकेशन फार्म दिनांक 11.06.2022
9	प्रदर्श पी-9/P.W.-5	सैंपल का विवरण फार्म दिनांक 11.06.2022
10	प्रदर्श पी-10/P.W.-7	एफएसएल की प्राप्ति रसीद दिनांक 29.06.2022
11	प्रदर्श पी-11/P.W.-7	आहत के धारा 161 सीआरपीसी के बयान 10.06.2022
12	प्रदर्श पी-12/P.W.-10	धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण-पत्र
13	प्रदर्श पी-13/P.W.-8	लिखित रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022
14	प्रदर्श पी-14/P.W.-8	आहत के धारा 164 सीआरपीसी के बयान 14.06.2022
15	प्रदर्श पी-15/P.W.-9	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022
16	प्रदर्श पी-16/P.W.-9	नमूना सील दिनांक 09.06.2022
17	प्रदर्श पी-17/P.W.-9	फर्द गिरफ्तारी सार्दुल सिंह दिनांक 16.06.2022
18	प्रदर्श पी-18/P.W.-9	सूचना धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिनांक 17.06.22
19	प्रदर्श पी-19/P.W.-9	फर्द तस्दीक घटनास्थल दिनांक 17.06.2022
20	प्रदर्श पी-20/P.W.-9	फर्दजबती दिनांक 09.06.2022
21	प्रदर्श पी-21/P.W.-9	अग्रेषण पत्र
22	प्रदर्श पी-22/P.W.-9	अग्रेषण पत्र दिनांक 21.06.2022
23	प्रदर्श पी-23/P.W.-9	नोटिस अंतर्गत धारा 41-क दंड प्रक्रिया संहिता 17.06.2022
24	प्रदर्श पी-24/P.W.-9	फर्द गिरफ्तारी दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह दिनांक 07.07.2022
25	प्रदर्श पी-25/P.W.-12	एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 31.07.2025
26	प्रदर्श पी-26/P.W.-12	एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 31.07.2025



ख-प्रतिरक्षा प्रदर्श-

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श डी-1	बयान 161 सीआरपीसी दयाल सिंह
2	प्रदर्श डी-1	बयान 161 सीआरपीसी द्रौपदी कंवर
3	प्रदर्श डी-1/D.W.1	पारिवारिक समझौता

प्रदर्श डी-1 सहवन से तीन बार अंकित

ग-न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो तो)- निल-

घ-माल विषय संख्या -

क्र.सं.	माल विषय संख्या	माल का विवरण
1	आर्टिकल-1	सीडी

निर्णय

दिनांक 19.03.2026

1- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आहत द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 इस आशय की दर्ज कराई कि उसकी शादी 24 नवंबर 2017 को उसके पिता के घर ग्राम कासली में हुई व शादी के बाद वह ससुराल चली गई। वहां पर 5-7 दिन ठीक रहने के बाद एक दिन दोपहर में उसकी सास गुलाब कंवर, ननंद गुड्डी कंवर एवं पति धन्नसिंह खेत में गये हुए थे तब पीछे से उसके ससुर द्वारा उसको कमरे में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया व वह काफी डर जाने के कारण उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई तथा उसके बाद उसका पति विदेश चला गया और उसका ससुर उसके साथ लगातार देह शोषण करता रहा। एक दिन थक हारकर उसके द्वारा यह बात छोटी ननंद गुड्डी को बताये जाने पर उसने व उसकी सास ने मिलकर उसको बेरहमी से मारा तथा इस बात का पता राजू कंवर के बेटे रविसिंह को पता चलने पर उसके द्वारा हरसावा आकर उसके साथ काफी मारपीट की गई। उसके पति के विदेश से आने पर जब उसने यह बात उसे बताई तब उसने भी उसके साथ मारपीट की। उसकी सास की मृत्यु दिनांक 03.11.2020 को हो गई तथा उसकी सास की मृत्यु के तीन दिन बाद ही उसके ससुर द्वारा उसके साथ रात को 12 बजे के लगभग जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। उसके ससुराल वालों द्वारा इस बात का पता चलने पर उसके साथ



मारपीट कर उसे सड़क पर डाल दिया तथा उसके पिता को इस बात की जानकारी होने पर यह लोग उसे मिर्गी के दौरे आने की बात कहने लग गये जिसके बाद उसके पिता दयाल सिंह उसे अपने साथ लेकर कासली ले आये तब से लेकर आज दिन तक वह अपने पिता के घर में रह रही है... ..इत्यादि।

2- उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर संख्या 105/2022 पुलिस थाना सदर फतेहपुर में अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 376(2)(n), 323, 341, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अन्वेषण अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धन्न सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता व सार्दुल सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(n), 498 ए, 506 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के समक्ष पेश किया, जिस पर अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धन्न सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता व सार्दुल सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(n), 498 ए, 506 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

3- न्यायालय द्वारा पत्रावली कमिट होकर प्राप्त होने पर दिनांक 14.09.2022 को प्रकरण दर्ज किया जाकर बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धन्न सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता व सार्दुल सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(n), 506 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धन्नसिंह द्वारा आरोपों से इनकार कर विचारण चाहा गया।

4- अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के संक्षिप्त विवरण में वर्णित सूची अनुसार साक्षी पी.डब्लू-1 से पी.डब्लू-12 को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेज प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-25 को प्रदर्शित करवाया गया।

5- बयान मुलजिम के समय अभियुक्त को मफरूर किया जाकर सह-अभियुक्त के संबंध में निर्णय किये जाने के बाद अभियुक्त के उपस्थित होने पर अभियुक्त को धारा- 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (351 बीएनएसएस) के अधीन परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य



पेश करना नहीं चाहा।

6- बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित होने से अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

7- उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि उसके द्वारा आहत के साथ कोई क्रूरता नहीं की गयी है एवं ना ही आहत के साथ कोई मारपीट की गयी है तथा सभी साक्षियों द्वारा यह जाहिर किया गया है कि आहत के भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने के लिए यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसके अतिरिक्त घटना की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है और सह-अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

8- उभय पक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं-

(1) क्या अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह द्वारा आहत से दिनांक 24.11.2017 को उसका विवाह होने के पश्चात् उसका पति होकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण द्वारा प्रताड़ना करते हुए जानबूझकर ऐसा आचरण किया गया जिसकी प्रकृति आहत को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने वाली थी तथा जिससे उसके जीवन व स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित होना संभाव्य था एवं दिनांक 03.11.2020 को आहत के साथ मारपीट की जाकर उसे साधारण उपहतियां कारित की गयी ?

(2) यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

9- आरोपित अपराध साबित करने के लिए अभियुक्त दिनेश उर्फ धनसिंह के संबंध में अभियोजन साक्षियों द्वारा परीक्षा में किये गये कथन संक्षेप में निम्नानुसार हैं-

(i) पी.डब्लू-1 ने उसकी चाचा की बेटी बहिन आहत का ससुराल हरसावा छोटा में होने तथा उसके पति का नाम धनसिंह एवं ससुर का नाम सार्दुल सिंह होने, उसकी बहिन के पति और उसके ससुर द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने जिसका मुकदमा करवाने, दिनांक 06.11.2022 को पुलिस ग्राम हरसावा छोटा में आने और घटना का नक्शामौका उसके सामने बनाये जाने व नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर



होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आहत के साथ उसके पति द्वारा मारपीट किया जाना नहीं देखे जाने के सुझाव को स्वीकार किया है।

(ii) पी.डब्ल्यू 2 ने उसके लडके का नाम नरेंद्र सिंह व आहत उसकी पुत्री होने, आहत की शादी 24.11.2017 को धन्न सिंह पुत्र सार्दुलसिंह सिंह के साथ होने, शादी के बाद उसकी पुत्री अपने ससुराल गांव हरसावा मे रहने लग जाने, बाद में उसका दामाद धनसिंह विदेश कमाने खाने चले जाने, उसकी लडकी की सास गुलाब कंवर व ननद गुडी व उसकी लडकी का पति धनसिंह एक दिन खेत में गये हुए होने के कारण उसकी बेटी को अकेला देखकर सार्दुलसिंह सिंह द्वारा पकड़ लिये जाने व बलात्कार किये जाने, उसकी बच्ची को तीन साल पहले रविसिंह तथा गुलाबकंवर और प्रहलाद सिंह व सार्दुलसिंह द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने तथा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी होने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने उसकी पुत्री तीन वर्ष से उसके घर में होने व इस अवधि में हरसावा नहीं जाने, उसकी बेटी की सास को खत्म हुए दो वर्ष हो जाने, उसकी बेटी की सास खत्म होने के समय उसकी बेटी उसके घर पर ही होने और अपने ससुराल नहीं जाने, उसकी बेटी को कौनसे साल व कौनसी तारीख को घर से निकाला नहीं बता सकने और यह मुकदमा सार्दुल सिंह और धन्न सिंह द्वारा उसकी बेटी की रोटी की व्यवस्था करने के लिए करवाये जाने, आहत को यह लोग आराम से रखे इसके लिए मुकदमा दर्ज करवाये जाने, उसकी पुत्री भोली-भाली लडकी होने जिसके रोटियों की व्यवस्था होनी जरूरी होने तथा अगर उन लोगों द्वारा पैसे दिये जायें तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने के सुझावों को स्वीकार किया है।

(iii) पी.डब्ल्यू 3 ने आहत उसकी पुत्री होने जिसका विवाह 6 वर्ष पहले धनसिंह के साथ होने तथा ससुर का नाम सार्दुल सिंह होने, उसका दामाद धनसिंह विदेश में नोकरी करने, उसकी लडकी के साथ उसकी ननद गुडडी कंवर और राजूकंवर तथा नानदा रविप्रकाश व उसके ससुर सार्दुल सिंह द्वारा मारपीट किये जाने तथा धनसिंह के विदेश से आने और इस बात का पता चलने पर उसके द्वारा भी उसकी लडकी के साथ मारपीट किये जाने व घर से निकाल दिये जाने का कथन किया है।



प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आहत के पति व ससुर द्वारा उनकी पुत्री की रोटियों की व्यवस्था ना करने की वजह से उनके द्वारा यह मुकदमा दर्ज करवाये जाने तथा यदि आज भी उनके द्वारा रोटियों की व्यवस्था कर दी जाये तो उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने, उसकी पुत्री तीन साल से अपने पीहर में ही रहने, यह मुकदमा धन्नसिंह से उसकी बेटी को रूपये दिलवाये जाने के लिए करवाये जाने तथा उनके द्वारा यह मुकदमा निपटाने के लिए तैयार होने के सुझावों को स्वीकार किया है।

(iv) पी.डब्ल्यू 7 ने दिनांक 10.06.2022 को पीएस सदर फतेहपुर मे कानि0 के पद पर कार्यरत होने, उस रोज आहत के बयान प्रदर्श पी-11 अन्वेषण अधिकारी के निर्देशन में उसके द्वारा उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये जाने, जो प्रदर्श पी-11 होने जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने, उनके बयानो की विडियोग्राफी की सीडी उसके द्वारा तैयार कर अन्वेषण अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद को दी जाने, जिनका उसने धारा 65 बी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-12 बनाये जाने जिस पर उसके ए से बी हस्ताक्षर होने व उसके द्वारा तैयार करवायी गयी सीडी पत्रावली मे संलग्न होने का कथन किया है।

(v) पी.डब्ल्यू 8 ने उसका विवाह लगभग 8 साल पहले कम उम्र मे ही हो जाने, शादी के बाद मे ससुराल आ जाने पर उसके साथ उसके ससुर सार्दुल सिंह तथा उसके पति व उसकी ननद के द्वारा मारपीट किये जाने, दो बार उसके ससुर व चार बार उसके पति द्वारा उसके उपर सो जाने तथा उस समय कमरे में उसके पति व ससुर दोनों साथ होने, उसके द्वारा उपर्युक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस को प्रदर्श पी-13 दिये जाने जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होने, पुलिस वालों द्वारा उसे अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी-7 किये जाने जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर होने, उसके धारा 164 के कथन प्रदर्श पी-14 होने तथा उनमें जो बात लिखी हुई है वह उसके द्वारा लिखवाई जाने, प्रदर्श पी-1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होने, उसके अस्पताल मे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाने, एफ एस एल जांच हेतु लिये गये नमूने प्रदर्श पी-8 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होने एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी-11 का हिस्सा इ से एफ उसके द्वारा पुलिस को सही लिखवाये जाने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने प्रदर्श पी-13 किसने लिखकर थाने में दी थी यह उसे पता



नहीं होने, प्रदर्श पी-13 में क्या लिखा था इस बात का उसे पता नहीं होने, सार्दुल सिंह द्वारा उसे रिपोर्ट देने के लिए कहे जाने व रिपोर्ट देते समय उसके माता-पिता उसके साथ होने, उसके द्वारा प्रदर्श पी-13 पर बहकावे में आकर हस्ताक्षर कर दिये जाने, उसकी सास की मृत्यु होने पर ससुराल नहीं आने, उसका पति उसे कमरे में किस दिन व किस महीने में लेकर गया यह नहीं बता सकने, उसके ससुर द्वारा दो बार व पति द्वारा चार बार उसके साथ गलत काम किये जाने लेकिन किस तारीख को व किस महीने में किये जाने यह नहीं बता सकने, प्रदर्श पी-14 के बयान अपने माता-पिता के कहे अनुसार दिये जाने, उसके पति व ससुर द्वारा उसके साथ कुछ नहीं किये जाने तथा उसे मिर्गी का दौरा आने के कारण यह रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 दर्ज करवाये जाने व अपने ससुर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने के सुझावों को स्वीकार किया है।

(vi) पी.डब्ल्यू 9 ने दिनांक 09.06.2022 को थाना सदर फतेहपुर मे एसआई के पद पर कार्यरत होकर उस दिन रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 पुलिस अधीक्षक सीकर से प्राप्त होने जिसके आधार पर एफआईआर नम्बर 105/2022 अंतर्गत धारा 498 ए, 376(2)(एन), 323, 341, 506 आईपीसी में दर्ज कर अन्वेषण स्वयं उसके द्वारा किये जाने, अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 बनाने तथा आहत के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जारी तहरीर प्रदर्श पी-6 व उसका मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी-7 तथा प्रदर्श पी-8 व प्रदर्श पी-9 उसके द्वारा शामिल पत्रावली किये जाने, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये जाने व आहत के कथन उसके निर्देशन मे महिला कानि. सुमन के द्वारा रिकॉर्ड किये जाने व आर्टिकल -1 प्रदर्श पी-12 व प्रदर्श पी-16 तैयार किये जाने, अभियुक्त को जरिये प्रदर्श पी-24 गिरफ्तार किये जाने तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने का कथन किया है।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया के साथ कब-कब मारपीट की गई, उसकी तारीख तथा महीना व समय नहीं बता सकने, परिवादिया द्वारा घटना दिनांक 03.11.2020 की बताई जाने व घटना की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2022 को दर्ज करवाये जाने व देरी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किये जाने तथा उसके द्वारा देरी से रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने का कोई अन्वेषण में दर्ज नहीं किये जाने व आहत द्वारा मारपीट के संबंध में दिनांक 09.06.2022 से पूर्व कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाये जाने व प्रदर्श पी -26 रिपोर्ट



नेगेटिव होने के सुझावों को स्वीकार किया है।

10- उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध के सम्बन्ध में उपर्युक्त साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार से है-

(i) घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 के अनुसार आहत का पति अर्थात् अभियुक्त शादी के बाद विदेश चला गया था तथा जब उसने अपने साथ होने वाले बलात्कार व मारपीट के बारे में विदेश से वापस आने पर अभियुक्त को बताया तब शराब के नशे में अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी एवं दिनांक 03.11.2020 को उसके ससुर द्वारा किये जाने वाले गलत काम के बारे में जब उसने अपने ससुराल वालों को बताया तब अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसे सड़क पर डाल दिया गया।

(ii) इस प्रकार से यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अन्य घटनाक्रम के समय अभियुक्त के विदेश में था किन्तु विदेश से आने के बाद उसके द्वारा आहत के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया गया है एवं मुख्य परीक्षा में भी अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने का कथन किया गया है किन्तु पी.डब्ल्यू 8 के रूप में आहत द्वारा अपनी परीक्षा में उसके पति व ससुर द्वारा उसके साथ कुछ नहीं किये जाने का कथन किया गया है तथा प्रतिपरीक्षा में स्वीकृत तथ्यों के अनुसार सह-अभियुक्त द्वारा किये जाने वाले अपराध के समय अभियुक्त की उपस्थिति वहां होना प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त साक्षी द्वारा उसके साथ अभियुक्त ने मारपीट किस तारीख को की व किस प्रकार से की तथा उसके द्वारा मारपीट के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवायी गयी इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है।

(iii) आरोपित अपराध के संबंध में पी.डब्ल्यू 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में रविसिंह तथा गुलाबकंवर और प्रहलाद सिंह व सार्दुलसिंह द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिये जाने का कथन किया है अर्थात् अभियुक्त का इस घटना में शामिल होना जाहिर नहीं किया गया है तथा पी.डब्ल्यू 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में उसकी लडकी के साथ उसकी ननद गुडडी कंवर और राजूकंवर तथा नानदा रविप्रकाश व उसके ससुर सार्दुल सिंह द्वारा मारपीट किये जाने तथा धनसिंह के विदेश से आने और इस बात का पता चलने पर उसके द्वारा भी उसकी लडकी के साथ मारपीट किये जाने व घर से निकाल दिये जाने का कथन किया है। किन्तु



घटना से तीन वर्ष पूर्व से उनकी पुत्री उनके साथ रह रही होने का तथ्य इन साक्षियों द्वारा स्वीकार किया गया है तथा रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने से पूर्व निरंतर आहत अपने पिता के घर में निवास किये जाने से यह भी नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा आहत को घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने से रोका गया हो। जिससे उपर्युक्त साक्षियों द्वारा अभियुक्त के आहत के साथ क्रूरता व मारपीट किये जाने के कथन अखण्डनीय नहीं रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा अपनी पुत्री के भरण-पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हस्तगत मुकदमा दर्ज करवाये जाने के सुझावों को भी स्वीकार किया गया है जिससे इन दोनों साक्षियों द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन अखण्डनीय नहीं रह जाते हैं।

(iv) इस प्रकार से प्रकरण के आहत व उसके माता-पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से भिन्न कथन किये जाने व उनकी मुख्य परीक्षा में किये गये कथन प्रतिपरीक्षा में अखण्डनीय नहीं रह जाने व घटना के लगभग दो वर्ष बाद रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने किन्तु विलंब का कोई कारण पत्रावली पर नहीं होने तथा स्वयं आहत द्वारा उसके पति द्वारा उसके साथ की गयी क्रूरता व मारपीट के संबंध क्रमबद्ध व विशिष्ट रूप से कथन नहीं किये जाने और इन सभी साक्षियों द्वारा आहत के भरण-पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हस्तगत प्रकरण को दर्ज करवाये जाने के स्वीकृत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह द्वारा आहत से दिनांक 24.11.2017 को उसका विवाह होने के पश्चात् उसका पति होकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण द्वारा प्रताड़ना करते हुए जानबूझकर ऐसा आचरण किया गया हो जिसकी प्रकृति आहत को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने वाली रही हो तथा जिससे उसके जीवन व स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित होना संभाव्य रहा हो एवं दिनांक 03.11.2020 को आहत के साथ मारपीट की जाकर उसे साधारण उपहतियां कारित की गयी हों, जिससे अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-498-ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।



- आदेश-

11- परिणामतः अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ धनसिंह पुत्र सार्दुल सिंह उम्र 36 वर्ष, निवासी-हरसावा, पुलिस थाना सदर फतेहपुर, जिला-सीकर, राजस्थान आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा- 498-ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्त द्वारा बीएनएसएस की धारा-481 (437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता) की पालना की जा चुकी है। अन्य अभियुक्त सार्दुल सिंह के संबंध में निर्णय दिनांक 30.08.2025 को दोषमुक्त किया जा चुका है।

(विकास ऐचरा)

अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला-सीकर(राज.)

12- निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास ऐचरा)

अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला-सीकर(राज.)